दिनांक :    .८.२०१९

**प्रति,**

**मा. प्रधानमंत्री,**

**भारत सरकार, नई देहली.**

**विषय : जम्मू–कश्मीर से ‘धारा ३७० एवं ‘३५–अ’ हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए केंद्र की भाजपा सरकार का अभिनंदन एवं कश्मीरी हिन्दुओं का पुनर्वसन करने के संबंध में....**

महोदय,

केंद्र की भाजपा सरकार ने ५ अगस्त २०१९ के दिन जम्मू–कश्मीर से ‘धारा ३७० एवं ‘३५–अ’ हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है । कांग्रेस द्वारा ७० वर्षों पूर्व किया पाप मोदी सरकार ने धो डाला है । इसके लिए हिन्दू जनजागृति समिति सभी हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों की ओर से केंद्र सरकार का अभिनंदन करती है ।

धारा ३७० निरस्त करने की मांग देशभक्त नागरिक और विविध हिन्दुत्वनिष्ठ संगठन अनेक स्तरों पर निरंतर कर रहे थे । आज इस मांग को न्याय मिला है । हिन्दू जनजागृति समिति और सनातन संस्था ने सार्वजनिक सभाओं तथा अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन के माध्यम से धारा ३७० हटाने संबंधी आवाज उठाई थी । **इस ज्ञापन के माध्यम से हिन्दू जनजागृति समिति जम्मू–कश्मीर और कश्मीरी हिन्दुओं से संबंधित निम्न मांगे कर रही है ।**

१. धारा ३७० हटाकर भारतमाता के मस्तक का भार हलका किया गया है, अब कश्मीरी हिन्दुओं का कश्मीर घाटी में पुनर्वसन कर भारतमाता के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट चढाया जाए ।

२. कश्मीर में उद्ध्वस्त किए गए मंदिरों की पुनर्स्थापना की जाए ।

३. गत ७० वर्षों में जम्मू–कश्मीर विधानसभा द्वारा बनाए गए देशविरोधी कानून निरस्त करें ।

४. रोहिंग्या मुसलमानों को दिया हुआ आश्रय निरस्त कर उन्हें तत्काल देश से बाहर निकालें ।

हमें विश्वास है कि हिन्दुओं की इन मांगों पर केंद्र सरकार निश्चित ही कार्रवाई करेगी । इस संबंध में केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी, उससे कृपया हमें अवगत करें, यह विनती है ।

आपका विश्वासपात्र,

संपर्क :